इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 116] भोपाल, सोमवार, दिनांक 10 अप्रैल 2023—चैत्र 20, शक 1945

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 2023

क्र. 281-859981-2022-इकसठ-लोसेप-पी.एस.जी.-44.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, वाणिज्य कर विभाग के अंतर्गत कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक की पूर्व में जारी अधिसूचना क्र. 660-859981-2022-इकसठ-लोसेप-पी.एस.जी.-44 दिनांक 29 सितम्बर 2022 में अधिसूचित सेवा क्र. 44.4 में संशोधन करते हुए निम्नानुसार सेवाएं पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोकसेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत् वाणिज्य कर विभाग के अंतर्गत कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक की सेवाएं.

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
44.4	सेवा प्रदाता को अनुज्ञप्ति प्रदाय	संबंधित जिला पंजीयक/वरिष्ठ जिला पंजीयक.	15 दिवस	संबंधित परिक्षेत्रीय उपमहानिरीक्षक पंजीयन.	30 दिवस	महानिरीक्षक पंजीयन.

2. राज्य सरकार एतद्द्वारा, निम्न सेवाएं .—

सेवा क्रमांक 44.4 सेवा प्रदाता को अनुज्ञप्ति प्रदाय-सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम को मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के अन्तर्गत मान्य अनुमोदन हेतु अधिसूचित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गिरीश शर्मा, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2023.